7871 पेड़ काटे, अब 80 हजार पौधे लगाएंगे

मामला अयोध्या बायपास का, आम नागरिकों की मुहिम ने दिखाया असर

10 हजार पौधे बायपास के आसपास ही रोपे जाएंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 जून. राजधानी के अयोध्या बायपास परियोजना के लिए हजारों पेड़ों की बलि देने के विरोध में चलाए गए आम नागरिकों की मुहिम ने असर दिखाया है.

यहां 19 लेन सड़क परियोजना के लिए 7871 पेड़ों की बलि दी गई थी. लिहाजा अब इसकी भरपाई 80 हजार पौधे लगाकर की जाएगी. सबसे बड़ी बात ये कि इस सड़क परियोजना के दोनों ओर 10 हजार पौधे लगाए जाएंगे और इसे हरित कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां बता दें कि राजधानी के लोगों ने इस सड़क परियोजना के लिए बड़ी संख्या में वर्षों पुराने विशाल वृक्षों की कटाई किए जाने का तीखा विरोध किया था, इस विरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया था, आखिरकार इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी दखल दिया था. लिहाजा अब विकास के साथ ही हरियाली बरकरार रखने का रास्ता भी साफ हो गया है.

इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह पहल पर्यावर्णीय संतुलन को सुदृढ़ करने के साथ क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को भी नया आयाम प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल बेहतर सड़क अधोसंरचना का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसी विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना है जो आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को भी पूरा करें. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. जैन ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, उन्नयन एवं विस्तार कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए.

नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने अयोध्या बायपास परियोजना में भोपाल की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की. मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि एनएचएआई और भोपाल नगर निगम के बीच निरंतर समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार की गई है. इसमें पाइप लाइन शिफ्टिंग सहित सभी तकनीकी कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे. नगर निगम के तकनीकी अधिकारियों की निगरानी में कार्य संपादित किए जाने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान नागरिकों को पेयजल आपूर्ति संबंधी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

प्रदेश में प्री-मानसून सिस्टम सक्रिय, गर्मी से मिली राहत

जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया

45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना

भोपाल, 5 जून. मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले सक्रिय प्री-मानसून सिस्टम ने पूरे प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है.

तेज आंधी, बारिश और बादलों की लगातार आवाजाही के कारण जहां लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है, वहीं कई जिलों में पेड़ गिरने, यातायात बाधित होने और स्थानीय स्तर पर नुकसान की घटनाएं भी सामने आई हैं. मौसम का यह बदला हुआ स्वरूप आने वाले दिनों तक बना रहने की संभावना है. वर्तमान में प्रदेश में ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिनके प्रभाव से अगले चार दिनों तक मौसम में इसी तरह की अस्थिरता बनी रह सकती है. विभाग ने भोपाल, इंदौर सहित करीब 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है. कुछ क्षेत्रों में हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर और दमोह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं और बारिश की आशंका अधिक है. लगातार हो रही बारिश और बादलों के कारण प्रदेश के अधिकतर शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया. भोपाल में 37.4 डिग्री, इंदौर में 38.4 डिग्री, उज्जैन और जबलपुर में 39 डिग्री तथा ग्वालियर में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया.

राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया. 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ और उनकी शाखाएं टूटकर गिर गईं, जिससे प्रमुख मार्गों पर आवागमन बाधित हुआ. भोपाल के साथ-साथ सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों में भी तेज बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली और लोगों को गर्मी से राहत मिली.

पंचायतों को बेहतर बनाने तैयार होगा रोडमैप

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 जून. ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग एक दीर्घकालिक ठोस रोडमैप तैयार कर रहा है. सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों का संकलन कर विस्तार से अनुशंसाएं तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

यह जानकारी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने दी. उन्होंने शुक्रवार को मंत्रालय में वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति, राजस्व स्रोतों और बजटीय प्रबंधन को लेकर मैराथन मंथन हुआ. अध्यक्ष पवैया ने केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अनुदानों के हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने स्थानीय निकायों की लेखांकन और ऑडिट व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया. बैठक में आगामी सोलहवें वित्त आयोग के लिए आवश्यक वित्तीय आंकड़ों और रणनीतिक व्यवस्थाओं पर भी विभागों के साथ विस्तृत चर्चा हुई, जिससे केंद्र से मिलने वाले संसाधनों का राज्यों को अधिकतम लाभ मिल सके. समीक्षा में स्थानीय निकायों को प्रदान की जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति और संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत प्राप्त राशि के हस्तांतरण पर भी विचार-विमर्श किया गया.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पंद्रहवें और सोलहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि और उसके उपयोग की स्थिति जांची गई. बैठक में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों और ग्राम स्तर पर सेवा प्रदायगी की समीक्षा हुई. आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पंच-परमेश्वर योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास और ई-पंचायत व्यवस्था के जरिए होने वाले डिजिटलाइजेशन की प्रगति देखी. साथ ही, पंचायतों की आय के आंतरिक स्रोत, कर संग्रहण क्षमता और शेल्टर टैक्स से जुड़े प्रावधानों पर भी चर्चा की गई.

छिपाकर रखा 147 किलो गांजा जब्त, एक गिरफ्तार

बड़वानी, 05 जून. जिले के वरला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर 147 किलोग्राम गांजा जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

सेंधवा के एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया कि सूचना मिली थी कि वरला थाना क्षेत्र के ग्राम पांजरिया के ब्राह्मणे फलिया स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर थाना प्रभारी नारायण रावल के नेतृत्व में पुलिस दल ने मकान पर दबिश दी. तलाशी के दौरान अनाज की बोरियों के पीछे छिपाकर रखी गई 29 प्लास्टिक की थैलियां बरामद हुईं. जांच में इनमें कुल 147 किलोग्राम गांजा पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 32 लाख 34 हजार रुपये आंकी गई है.

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मकान शांतिलाल बारेला का होना सामने आया, लेकिन छापेमारी के समय वह मौके से फरार मिला. वहीं मौजूद उसके भतीजे बदिया उर्फ कमीस बारेला (21) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने बरामद गांजा अपना होना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के विरुद्ध वरला थाने में मादक पदार्थ संबंधी प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है

कलेक्टर के निरीक्षण में जिला अभिलेखागार शाखा में मिली खामियां

व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी सात दिवस में रिकॉर्ड व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 5 जून। कलेक्टर गौरव बैनल ने जिला अभिलेखागार शाखा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खसरा, खतौनी, सीमांकन, नामांतरण आदेश, नक्शा और आवश्यक पंजियों का बारीकी से अवलोकन किया।

इस दौरान भू-अभिलेखागार शाखा में रिकॉर्ड संधारण की लचर व्यवस्था और अव्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कड़े लहजे में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। अभिलेखागार की व्यवस्थाओं में लापरवाही और दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखने के कारण कलेक्टर ने सहायक ग्रेड-3 जितेंद्र भदौरिया और भृत्य छत्रपाल कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को सख्त निर्देशित किया कि आगामी सात दिवस के भीतर विशेष अभियान चलाकर भू-अभिलेखागार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन और सूचीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगा कर सभी दस्तावेजों को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पंजीबद्ध करने के साथ-साथ इस संबंध में एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित ओआईसी और प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से शाखा का निरीक्षण करें, जिससे वहां की प्रबंधन व्यवस्था और साफ-सफाई दुरुस्त रहे। दस्तावेजों को कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर पेस्ट कंट्रोल कराने के भी निर्देश दिए गए।

लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाले मामलों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भू-अभिलेख से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण हर हाल में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि किसी भी प्रकरण का नकारात्मक निराकरण नहीं होना चाहिए। जनता को सहूलियत प्रदान किए जाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया कि आवेदन प्राप्त होने के दो से तीन कार्यदिवसों के भीतर हर हाल में आवेदकों को उनके रिकॉर्ड और वांछित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएं, जिससे आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान संयुक्त कलेक्टर अखिलेश सिंह, संजीव पांडेय और तहसीलदार भू-अभिलेख विभाग मान सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे।

यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय सिरमौर मे हुआ वृक्षारोपण

सिरमौर 5 जून, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ ओमप्रकाश द्विवेदी के हाथों से महाविद्यालय के प्रांगण में अमरूद पीपल बरगद नीम आम के वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया प्राचार्य ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम भारत सरकार का एक राष्ट्व्यापी वृक्षारोपण अभियान है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था .

इसका उद्देश्य अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करना तथा उनके नाम पर एक पौधा लगाकर पर्यावरण को हरा भरा रखना है. राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर प्रवीर चंद दुबे ने ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं और महाविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया.कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर दुबे ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम एक छोटा सा प्रयास अपनी मां के प्रति प्यार का प्रतीक भी बनेगा और आने वाली पीढियां के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करेगा. वृक्षारोपण में महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एसके दुबे श्री अशोक द्विवेदी मधु शुक्ला श्रेया मिश्रा संतोष मिश्रा सूर्य प्रसाद शुक्ला विजय कुशवाहा प्रोफेसर विपुल मिश्रा एवं छात्राएं उपस्थित रहे.

हिंडालको गेट के पास तेज रफ्तार पिकअप का कहर

कंटेनर से भिड़ी पिकअप, तीन भैंसों की मौके पर मौत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 5 जून। बरगवां थाना क्षेत्र में आज शुक्रवार को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन के कारण सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हिंडालको के एक नम्बर गेट के पास पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 66 जेडएच 8842 ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद चालक वाहन रोकने के बजाय मौके से भाग निकला, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक तेज गति से बरगवां की ओर भाग रहा था। इसी दौरान ओड़गड़ी के समीप चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे एक कंटेनर में पीछे से जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पिकअप में आठ भैंसें लदी हुई थीं।

दुर्घटना के बाद तीन भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पशुओं को भी चोटें आने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद चालक और उसके साथ मौजूद स्टाफ वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस को सूचना देने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस फरार चालक की तलाश करने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहन और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। मोटरसाइकिल सवार की स्थिति को लेकर समाचार लिखे जाने तक आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी।

तियरा में खड़े डंपर से बाइक की भिड़ंत, परसदेही निवासी युवक की मौत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 5 जून, जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तियरा क्षेत्र में खड़े डंपर से बाइक की टक्कर होने के बाद एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया।

घायल का इलाज सिंगरौली अस्पताल में जारी है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया।मिली जानकारी के अनुसार, परसदेही निवासी मनोज साहू उम्र (लगभग 22 वर्ष) बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान तियरा क्षेत्र में खड़े डंपर से उनकी बाइक पीछे से टकरा गई। हादसे में दोनो को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर ले जाया गया उक्त घटना देर रात आठ साढ़े आठ बजे की बताई जा रही है जहाँ चिकित्सकों ने मनोज शाह नामक युवक की मौत होने की सूचना दी इसके बाद परिजन इलाज के लिए सिंगरौली अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया और

अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया गया। सूचना मिलने पर कोतवाली टी आई अशोक सिंह परिहार नवानगर टीआई अन्य पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहा ! मिली जानकारी के अनुसार हादसा क्रॉसिंग के दौरान खड़े भारी वाहन से बाइक की टक्कर होने के कारण हुआ है क्रासिंग के दौरान सामने से गाड़ी आ रही थी जिसके तेज रोशनी आंखो पर पड़ने के कारण भी अनियंत्रित होकर वाइक खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई हालांकि घटना के वास्तविक कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर बैढ़न वन परिक्षेत्र में हुआ व्यापक पौधारोपण

वन अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन परिक्षेत्र बैढ़न अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण, जल स्त्रोतों के संवर्धन एवं प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

वन परिक्षेत्र बैढ़न के बीट उत्तर गोभा अंतर्गत ननियागढ़ के समीप वन कक्ष क्रमांक आरएफ 400 में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोरम तिवारी, जिला जज उमेश सोनी, राकेश कुमार कुशवाहा, उपवन मंडल अधिकारी बैढ़न नरेंद्र त्रिपाठी, परिक्षेत्र सहायक गोभा हरिकेश्वर प्रधान, बीट प्रभारी उत्तर गोभा शुभम यादव, बीट प्रभारी दक्षिण गोभा देवपति सिंह, बीट प्रभारी उर्ती भाग्योदय सिंह सहित स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया। इसी क्रम में बीट गड़ेरिया अंतर्गत काचन जलाशय के समीप वन कक्ष क्रमांक पी 298 में भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल सुनील सिंह जादौन, बीट प्रभारी गड़ेरिया सर्वेश तिवारी, बीट प्रभारी अमलोरी अंजनी सिंह चंदेल, बीट प्रभारी पिपरा रमाकांत शुक्ला, ग्राम वन समिति के पदाधिकारी, लघु वनोपज समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों को वृक्षों के महत्व, जल स्त्रोतों के संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सतत जिम्मेदारी है। उक्त कार्यक्रम में डीएफओ अखिल बंसल, एसडीओ फॉरेस्ट नरेंद्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न राजकुमार यादव के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

In The Court Of I Civil Judge Class-I and Chief Judicial Magistrate, District Court, Sidhi
Presiding Officer: विनोद कुमार वर्मा

आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक

(MJC SUC/0000003/2026)

मो. जैतून......................आवेदक

Vs

हर आम खास.... ....अनावेदक

प्रो. 428/26
14/05/2026
Process Id- /2026
पेशी दिनांक :-09/07/2026

प्रेषिती-
(1) हर आम खास पता- जिला सीधी म.प्र.
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो. जैतून पता ने मृतक मो.रफीक पिता मो.सफी निवासी झगरहा, गोपदबनास जिला सीधी म.प्र. की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 09 July 2026 को नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 09 July 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख 12 May 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

(विनोद कुमार वर्मा)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
वरिष्ठ खण्ड सीधी
जिला- सीधी (म.प्र.)

टिप्पणी :- पेपर प्रकाशन

कृपया ध्यान दें :-

1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) गुनौर जिला पन्ना म0प्र0

दिनांक 04.06.2026

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण ग्रामवासियों को ग्राम हिनौता मिश्र के निवासियों को सूचित किया जाता है आवेदक ईको सीमेन्ट लिमि 72 जवाहर नगर एक्सटेंशन भेलूपुर वाराणसी उ.प्र. द्वारा डायरेक्टर मोतीलाल हरियाणा भवन पन्ना नाका सतना म0प्र0 के आवेदन पर न्यायालय कलेक्टर महोदय पन्ना के रा0प्र0क्र0 / 0003 / अ-67 / 2025-26 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के माध्यम से ग्राम हिनौता मिश्र की आराजी किता 14 रकवा 8.210 हे0 भूमि में भू-प्रवेश दिलाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है, जिसमें निम्नानुसार हितग्राही हैं -

क्र.	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित रकवा	स्वीकृत प्रतिकर राशि
1	बेटीबाई पिता बंशगोपाल पटेल नि0 धनोखर पन्ना म.प्र.	132	0.46	5,15,200/-
2	श्री रामचरण पिता चंदीदीन पटेल निवासी अमानगंज	133	0.15	14,78,990/-
		134	1.08	
3	श्री अखिलेश कुमार पि0 मिजाजीलाल नि. ग्राम गौरा तहसील अमानगंज जिला पन्ना म0प्र0	135	0.49	15,25,355/-
		136/1	0.34	
		137	0.49	
4	श्री प्रवीण कुमार पिता सुरेश कुमार निवासी अमानगंज	136/2	0.48	7,50,400/-
		179	0.19	
5	रमेश चौधरी, नत्थू, नोनेलाल, पिता दसईया उर्फ दशरथ चौधरी, शांतिबाई वेबा दसईया उर्फ दशरथ चौधरी, मथुरा बाई चौधरी पुत्री दसईया उर्फ दशरथ चौधरी पिता डहरा तह0 अमानगंज	178	0.83	9,29,600/-
6	घसोटा चौधरी, मिहीलाल, गौरीबाई, शिवरतिया चौधरी पुत्र/पुत्री परमा चौधरी नि0 डहर्रा तहसील अमानगंज	180	0.53	6,00,740/-
7	रामदीन पिता चिरंजी पटेल नि0 हिनौता मिश्र तहसील अमानगंज जिला पन्ना म0प्र0	182/1	0.45	25,10,955/-
		183	1.75	
8	नरेश पटेल पिता चिरंजी पटेल नि0 पटेलपुरा अमानगंज जिला पन्ना म0प्र0	186	0.31	10,93,540/-
		187	0.66	

उक्त संबंध में प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए दस्तावेज बैंक खाता एवं आधार कार्ड, पेनकार्ड सहित उपस्थित होने के लिए पूर्व में कार्यालयीन पत्र दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से लिखित सूचना जारी की गई थी आज दिनांक तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पुन: सभी उपरोक्त हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि आपेक्षित दस्तावेज सहित दिनांक 11.06.2026 को इस कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा0 गुनौर जिला पन्ना म0प्र0 में कार्यालयीन समय 11.00 बजे उपस्थित होकर आपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अनुपस्थिति की दशा में कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।।

अत: दिनांक 04.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की पद मुद्रा से इस्तहार जारी किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
गुनौर जिला पन्ना म0प्र0

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक / प्रवा./ अपर कले. / 26 सतना दिनांक 18/5/2026

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमन पयासी पुत्र श्री तेज नारायण पयासी उम्र 23 वर्ष, (20/01/2003) स्थिति- अविवाहित व्यवसाय- प्राईवेट नौकरी, स्थायी निवासी- ग्राम - उजैनी, पोस्ट - कलवलिया, थाना- सभापुर तहसील - बिरसिंहपुर अनुविभाग- मझगवां जिला सतना (म.प्र.) पिनकोड 485226 एवं आवेदिका काजल गौतम पुत्री श्री रामकृष्ण गौतम उम्र 22 वर्ष (20/08/2004), स्थिति- अविवाहित व्यवसाय- गृहणी स्थायी निवासी ग्राम उजैनी पोस्ट - कलवलिया, थाना- सभापुर तहसील- बिरसिंहपुर अनुविभाग- मझगवां जिला सतना (म. प्र.) पिनकोड 485226 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 27/04/2026 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 19/06/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नागौद जिला-सतना (म0प्र0)

क्रमांक / यू.ए.डी.डी./न0प0 / 2026-27/255 — नागौद, दिनांक 03/06/2026

// निविदा सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पजीकृत ठेकेदारो से ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIT	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य EMD	निविदा की अंतिम तिथि
09/ 2026	2026_UAD_ 513511_1 06/06/2026	नगर परिषद नागौद में पेयजल आपूर्ति मरम्मत एवं अन्य विकास कार्य।	03 माह राशि 13,02,321.00	2000.00 राशि 9767.00	07/07/2026 17:30

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन वेबसाइट https://mptenders.gov.in की वेबसाइड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र मे प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद नागौद
जिला-सतना (म0प्र0)